

"कार्यालय आदेश"

नगर निगम, रुद्रपुर में कार्य स्थल पर यौन उत्पीडन अधिनियम 2013 की धारा 4 के अनुपालन में आंतरिक परिवाद समिति का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

1. उप नगर आयुक्त, नगर निगम, रुद्रपुर - अध्यक्ष
2. सहायक नगर आयुक्त (स्वास्थ्य), नगर निगम, रुद्रपुर - सदस्य
3. नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, रुद्रपुर - सदस्य

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा महिला कार्मिकों की शिकायतों सम्बन्धी कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं शिथिलता स्वीकार नहीं होगी।

(नरेश चन्द्र दुर्गापाल)
नगर आयुक्त
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

पत्रांक:- 903/7 अधि0 अनु0
प्रतिलिपि:-

तददिनांक 17-10-23

1. प्रमुख सचिव, शहरी विकास अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, उत्तराखण्ड शासन को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. मा0 महापौर महोदय, नगर निगम, रुद्रपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
6. उप नगर आयुक्त, नगर निगम, रुद्रपुर को अनुपालनार्थ प्रेषित।
7. सहायक नगर आयुक्त (स्वास्थ्य), नगर निगम, रुद्रपुर को अनुपालनार्थ प्रेषित।
8. नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, रुद्रपुर को अनुपालनार्थ प्रेषित।
9. डॉक अनुभाग को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु प्रेषित।
10. श्री तपन राय, कम्प्यूटर ऑपरेटर को उपरोक्त आदेश को नगर निगम रुद्रपुर की बैबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।

नगर आयुक्त
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर